करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। साथ ही अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6(1)(ख) के अनुसार आवेदक द्वारा आवेदन में चाही गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट (Specifyin The Particulars) अंकित करना आवश्यक है किन्तु आवेदन में सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं किये जाने के कारण आवेदक को सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

अतः हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिन्दु संख्या 01लगा0 03 की सूचना चाहने हेतु दिनांक 19.01.2022 को आवेदन भिजवाया गया जिसमें अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु कार्यालय के पत्र कमांक/सम्पर्क/सू.अ./2022/ 29–30 दिनांक 21.1.2022 द्वारा बिन्दु संख्या 01व 2 की सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर से चाही गई तथा बिन्दु संख्या–3 की सूचना अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर से सम्बधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरित किया गया जिसकी सूचना अपीलार्थी को पत्र दिनांक 21.1.2022 के जरिये दी गई है। बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर से उनके पत्रांक प.12/12/(36)राजस्व/2015/371 दिनांक 14.2.2022 से प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/संपर्क/सू.अ./2022/99 दिनांक 21.2.2022 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक से पत्र लिखा गया है कि बिन्दु संख्या 1 व 2 के सम्बध में अवगत कराया है कि राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। साथ ही अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना

प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6(1)(ख) के अनुसार आवेदक द्वारा आवेदन में चाही गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट (Specifyin The Particulars) अंकित करना आवश्यक है किन्तु आवेदन में सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं किये जाने के कारण आवेदक को सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रथम अपील, राकेश कुमार परमार बनाम लोक सूचना अधिकारी एंव(अति0जिला कलक्टर धौ0) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु0संख्या 12/2022) (जीसीएमएस न0 2022/22)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
31-3-2022	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः अपील/आरटीआई./2022/151 दिनांक 28.03.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु दिनांक 19.01.2022 को आवेदन भिजवाया गया था। उक्त आवेदन आवक शाखा के कमांक 750 दिनांक 20.01.2022 से उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसमें अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु कार्यालय के पत्र कमांक/सर्म्पक/सू.अ./2022/ 29-30 दिनांक 21.1.2022 द्वारा बिन्दु संख्या 01व 2 की सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर से चाही गई तथा बिन्दु संख्या-3 की सूचना अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर से सम्बधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरित किया गया जिसकी सूचना अपीलार्थी को दी गई। बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर से उनके पत्रांक प.12/12/(36)राजस्व/2015/371 दिनांक 14.2.2022 से प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/संपर्क/सू.अ./2022/99 दिनांक 21.2.2022 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक से पत्र लिखा गया है कि बिन्दु संख्या 1 व 2 के सम्बध में अवगत कराया है कि राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित	